ईमेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2013/2632 जयपुर, दिनांक 28-06-2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, युवाओं एवं सरकारी/बैकों आदि में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने बाबत्।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 1943 दिनांक 24.5.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 1943 दिनांक 24.5.2013 के द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 03 जुलाई, 2013 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा तथा 18 जुलाई, 2013 तक दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेगें।

2. विभाग स्तर पर अर्हता दिनांक 01.01.2013 के सदर्भ में मतदाता सूचियों के 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम प्रकाशन के समय उपलब्ध ऑकड़ों तथा इसके प्श्चात् निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान दिनांक 21 मई, 2013 तक संकलित ऑकड़ों का विशलेषण करने पर यह पाया गया है कि मतदाता सूचियों के दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की अवधि में किये गये प्रयासों के पश्चात् भी राज्य में लिंगानुपात 888 है। इसी प्रकार से 18–19 आयु वर्ग में भी युवाओं का पंजीकरण कम है। पंजीकरण के विषय में यह भी महसूस किया गया है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, बैकों औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कामगारों का भी मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पंजीकरण नहीं है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रयास कर पंजीकरण बढ़ाने के विषय में कार्यवाही की जानी है। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)/निर्वाचक रंजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान की जाने वाले कार्यवाही के विषय में विवरण आगे के पैरा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों के ऑकड़ों का विशलेषण करने के बाद विभाग को यह अवगत कराया गया है कि राज्य में लिंगानुपात निर्धारित मापदण्ड से बहुत कम है तथा इसे विशेष प्रयास कर बढ़ाया जाए जिससे कि राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में शत–प्रतिशत पात्र महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस क्रम में आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

3.1 **अधिकृत अधिकारी/बीएलओ के नेतृत्व में बूथ स्तरीय कमेटी का गठन** – इस विषय में जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में लिंगानुपात बढ़ाने के उद्देश्य से माह फरवरी–मार्च, 2013 में राज्य सरकार के विभाग यथा महिला बाल विकास , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग के फील्ड स्तरीय महिला कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से मतदाता सूची में पंजीकरण से अवशेष रही पात्र महिलाओं का चिन्हिकरण किया गया था तथा प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त कर पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किये गये है। इसके पश्चात् भी ऑकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्थिति है कि राज्य में महिलाओं का पंजीकरण जनसंख्या की तुलना निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है। **इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रवार/विधानसभा क्षेत्रवार ऑकड़ों का विश्लेषण करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर यह अन्तर कितना है। इस अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकृत अधिकारी/बीएलओ के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जायेगा।** जिसमें उपरोक्त वर्णित विभागों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। उक्त कमेटी पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान मतदान केन्द्र विशेष में ऐसी पात्र महिलाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करेगें तथा उन्हें प्रेरित कर प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करेगें, जिससे कि इन महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकें।

3.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर इस प्रकार के मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण करने के बाद इन मतदान केन्द्रों पर प्रचार–प्रसार की विशेष कार्ययोजना यथा ऐसी महिलाओं से व्यक्तिगत संवाद कायम करना, जागरूकता रैली का आयोजन करना तथा इन परिवारों के स्कूल में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों तक सन्देश पहुँचाना जिससे अभिभावकगण प्रेरित होकर मतदाता सूची में पंजीकरण करवाए।

3.3 इस विषय में वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर नवाचार का प्रयोग कर एवं एन0जी0ओ एवं सामजिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त कर पंजीकरण बढ़ाने के विषय में कार्यवाही कर सकते है।

4. **युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण** – इस विषय में आप कृपया विभाग के पत्र कमांक 790 दिनांक 12 मार्च, 2013 का अवलोकन करें। इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यथास्थित जिले में संचालित होने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर उनके लिए माह मई–जून, 2013 में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगें जिससे कि माह जुलाई, 2013 में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर शिविरों का आयोजन कर मतदाता सूची में नवयुवक छात्र/छात्राओं का पंजीकरण करवाने के विषय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सके। चूँकि आगामी शैक्षणिक सत्र माह जुलाई, 2013 से प्रारम्भ हो रहा है इसलिए इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है :–

4.1 **नोडल अधिकारी की नियुक्ति** – जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जिले में संचालित होने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है तथा उनके लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर लिये गये है। यदि यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है तो आवश्यक रूप से 25 जून, 2013 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जिले में नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी की सूची संलग्न परिशिष्ट–1 में तत्काल विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

4.2 ऐसे युवा जो कि किसी कारणवश महाविद्यालय/विश्वविद्यलाय में प्रवेश नहीं ले पाए है उनका मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभाग द्वारा राज्य स्तर पर नेहरू युवा केन्द्र के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विचार–विमर्श किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्र के कार्यालय है तथा सम्पूर्ण राज्य में फील्ड में 1400 नेहरू युवा केन्द्र की ईकाईयॉ कार्यरत है। वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर) नेहरू युवा केन्द्र के जिला समन्वयक से बैठक आयोजित कर तुरन्त विचार विमर्श कर आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इनका सहयोग लेकर ग्रामीण युवाओं का पंजीकरण बढ़ाने के विषय में कार्यवाही करें।

4.3 जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रचार प्रसार की दृष्टि से हौर्डिग्स, बैनर, पोस्टर आदि भी लगाया जाना सुनिश्चित करें। इस विषय में उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए चार प्रकार के पोस्टर का मुद्रण कराया गया है। पोस्टर शीघ्र ही पुनरीक्षण की सामग्री के साथ उपलब्ध कराए जा रहे है। हौर्डिग्स आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जानी है।

5. **केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/बैंक/कॉरपोरेट कार्यालय एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कामगारों यथा अधिकारियों/कर्मचारियों का मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना –** विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन के समय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं अन्य संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को यथास्थिति मतदान दलों में नियुक्त किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) स्तर पर मतदान दलों के विषय में जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है उसमें प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/मतदात सूची में पंजीकरण/मतदात फोटो पहचान पत्र आदि की सूचना संकलित की जा रही है। इस विषय में यह महसूस किया गया है कि उपरोक्त वर्णित कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम शत–प्रतिशत रूप से मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तथा यह एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसका यदि मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तो निश्चित रूप से मतदाता सूची सही एवं आदिनांक हो सकेगी। तथा मतदान के समय मतदातन का प्रतिशत भी बढ़ेगा। आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इस विषय में निम्न कार्यवाही की जानी है।

5.1 जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जिला मुख्यालय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के समस्त विभागों बैक, एल.आई.सी. एवं अन्य कॉरपोरेट कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं औद्योगिक संस्थानों के श्रमिकों के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विशेष प्रचार–प्रसार कर इन्हें प्रेरित करें, जिससे सभी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किया जा सकें।

5.2 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) विभिन्न स्तरों पर टीम का गठन करें जो कि उक्त कार्यालयों में संबंधित संस्था प्रधान से सम्पर्क करेगें तथा वहॉ पर अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर एस0एम0एस0 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम होने की पुष्टि के संबंध में उन्हें जानकारी देगें तथा साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है उनको फार्म 6 उपलब्ध करवाकर दिनांक 03 जुलाई, 2013 से 18 जुलाई, 2013 के

मध्यम अपने समीप के मतदान केन्द्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आग्रह करें।

5.3 उपरोक्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर तथा सदृश्य स्थानों पर विभाग द्वारा मुद्रित कराए गए पोस्टरों का प्रदर्शन किया जाए तथा संस्था प्रधान से आग्रह करे प्रत्येक कार्यालय के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में समन्वयक नियुक्त करने हेतु आग्रह करें जिससे संस्थान विशेष के सभी पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का मतदाता सूची में पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- परिशिष्ट-1

भवदीय,

ह०

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2013/ 2632 जयपुर, दिनांक 28-06-2013

प्रतिलिपि :–

निदेशक, स्टेट रिर्सोस सेन्टर, जयपुर एवं जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–1

जिले का नामः.....

नोड़ल अधिकारी का नाम व पदनाम.....

मोबाईल नम्बर :.....

तालिका

क0सं0	नाम संस्था व स्थान	नोड़ल आफिसर का नाम व पद	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4